न्यायालय श्रीमान् राजस्व मड़ल ग्वालियर केम्प सागर म.प्र.

मोहन सिह पिता सुजान सिंह, निगरानी-4680/2018/सागर/

साकिन– ग्राम हरवंशपुरा, तहसील राहतगढ, जिला सागर

हाल निवासी– शास्त्री वार्ड सागर, तहसील सागर, जिला सागर

..........................आवेदक

26/7/18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 9-8-18 नियत। 26-7-18

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

श्रीमति कोमल बाई पत्नी भगवान सींग लोधी

साकिन ग्राम– हरवंशपुरा तहसील राहतगढ़ जिला सागर,

26/7/18

....................अनावेदिका

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू – राजस्व संहिता 1959:–

आवेदक की ओर से निम्न प्रर्थना है–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी अधीनस्थ **न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, राहतगढ़, जिला सागर द्वारा प्र0 क0 21/अ–6/2017–18 में पारित आदशे दिनांक 06/07/2018** से परिवेदित होकर कर रहा है। जो समय सीमा में है तथा माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार है। न्यायालय शब्द से संबोधित किया जावेगा ,द्वारा मौजा हरवंशपुरा प.ह.न. 37 तहसील राहतगढ़ के संबंधित अपील प्रकरण क्रमांक 21/अ/6 वर्ष 2017–2018 कोमलबाई लोधी बनामा मोहनसींग में पारित आदेश दिनांक 06/07/2018 जिसे आगे विवादित आदेश के नाम से संबोधित किया जावेगा, से क्षुभित होकर निम्नलिखित आधारों सहित अन्य आधारों पर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत कर प्रार्थना करता है:–

निगरानी के आधार

1– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त बिबरण इस प्रकार है कि भगवानसींग पिता बारेलाल के नाम से ग्राम हरवंशपुरा, प.ह.नं. 37 में खसरा क्रमांक

(1)

R 4680/2018 सागर 2
शाहगढ़ / कोमल

14-8-18

आवेदक अधि: श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित / कायमी हेतु समय चाहा / स्वीकार / कायमी पर तर्क हेतु /

C.f. 20-8-18

20/8/18
R.V.

स.प. 14-8-18

20-8-18

आवेदक अधि: श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित / ग्राह्यता पर तर्क सुने / प्रकरण का अवलोकन किया / अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा-5 का आवेदन दिनांक 6-7-18 को स्वीकार किया गया / प्रकरण अभी लम्बित है /

अतः प्रकरण में ग्राह्यता का आधार प्रतीत नही होता है / प्रकरण अग्राह्य किया जाता है

स.प.